



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेत्ने अस्पताल के समाने, रातानाडा, जोधपुर-342001

jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साइट <http://email-jdajodhpur@rajasthan.gov.in> phone no- 0291 2612086, 0291 2656355 फ़ि 0291 261537

क्रमांक:- अधि.अभि./जोन विद्युत-1/20-21/ ८८

दिनांक:- ०५/०६/२०२०

ई-बिड सूचना संख्या: जोन विद्युत-प्रथम/०५/२०२०-२१:

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत बिडर्स जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों, जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के बिडर्स के समकक्ष हो (बिड पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से विद्युत कार्यों हेतु ऑन लाईन बिड आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। बिड सुरक्षा राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम बिडर्स द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभाग में पंजीकृत सक्षम बिडर्स द्वारा 2 प्रतिशत राशि का ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban services में payment gateway for E-tendering से सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाईन बिड खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण में जमा करानी आवश्यक है।

—महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण—

विवरण	बिड की क्र. सं.	दिनांक व समय
ऑन लाईन बिड फार्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	1 से 3	09.06.2020 सुबह 9.30 बजे से
ऑन लाईन बिड फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	1 से 3	19.06.2020 सायं 6.00 बजे तक
ऑन लाईन बिड फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	1 से 3	09.06.2020 सुबह 9.30 बजे से
ऑन लाईन बिड फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1 से 3	19.06.2020 सायं 6.00 बजे तक
बिड प्रपत्र शुल्क, बिड सुरक्षा राशि SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban services में payment gateway for E-tendering से जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1 से 3	19.06.2020 सायं 6.00 बजे तक
बिड को खोलने की दिनांक व समय	1 से 3	22.06.2020 सायं 4.00 बजे

बिड का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	बिड सुरक्षा राशि (लाखों में)	बिड प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	जोन कार्यालय
1.	जोन उत्तर में लगी लाईटों का रखरखाव दो वर्ष तक करने हेतु	59.24	118480/-	1000/-	24 माह	विद्युत
2.	जोन पूर्व में लगी लाईटों का रखरखाव दो वर्ष तक करने हेतु	91.35	182700/-	1000/-	24 माह	विद्युत
4.	शाला ब्रीडा संगम गौशाला मैदान में परिसर (Building) की विद्युत मरम्मत का कार्य।	1.72	3440/-	500	1 माह	विद्युत

बिड की महत्वपूर्ण शर्त निम्नानुसार है—

- बिड प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन बिड में भाग लेने वाले बिडर्स को बिड को इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाइट <http://www. epoc.rajasthan.gov.in> पर जमा करनी होगी।
- बिड की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
- बिड हेतु पात्र बिडर्स की श्रेणी—(विद्युत कार्यों हेतु)

किसी भी सीमा तक:	EWSD I संवेदक
रूपये 25.00 लाख तक:	EWSD II संवेदक
रूपये 10.00 लाख तक:	EWSD III संवेदक
रूपये 5.00 लाख तक:	EWSD IV संवेदक

- बिड खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण बिड नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष बिड खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

5. बिड प्रक्रिया—

कार्य	पोर्टेशियल असेसमेंट	पोर्ट क्वालीफिकेशन
अन्य निर्माण कार्य	200 लाख से 1000 लाख तक	1000 लाख से 5000 लाख तक

- बिडर्स द्वारा निम्नलिखित राशि निम्न विवरण अनुसार बिड खोले जाने के समय से पूर्व SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban services में payment gateway for E-tendering से जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है—

क्र.सं.	शुल्क प्रतिरण	शुल्क	भुगतान का माध्यम	देय
1.	बिड शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
2.	बिड सुरक्षा राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	sso.rajasthan.gov.in पर urban services में payment gateway for E-tendering से	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
3.	ई-टेंडररिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/-		M.D. RISL, JAIPUR

- प्रदत दर बिड खोलने की दिनांक से 50 दिवसीं तक बिड स्वीकृत होत मान्य (Valid) रहेगी। यदि बिडर्स उक्त अवधि में अपनी बिड अद्यवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अद्यवा अपनी बिड वापस ले लेता है, तो उसकी बिड सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

26/06/2020

8. यदि विडर्स के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
9. राज्य सरकार में किसी भी अभियंताओं की विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा नियृति के 2 वर्ष तक विडर्स अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि विडर्स अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति विड जगा कराने से पहले अथवा विडर्स के यहाँ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
10. कार्य की दोष निवारण अवधि कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण कर विभाग को हस्तांतरित करने की दिनांक से 6 माह होगी।
11. किसी भी विड को खीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार अद्योहस्तावरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्तें उस सीमा तक मान्य/लागू होंगी, जिस सीमा तक वे राजस्थान लोक उपापन पारदर्शित अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।
12. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1(1)FD/GF&AR/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु की राशि विड शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban services में payment gateway for E-tendering के रूप में देय होगी। यह राशि MD, RISL के पक्ष में व जयपुर में ऑनलाईन भुगतान योग्य होनी चाहिये।
13. नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल या पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
14. विड शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-
- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 50 लाख से कम अनुमानित लागत          | रुपये 500  |
| 50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत  | रुपये 1000 |
| 150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत | रुपये 2000 |
| 400 लाख से अधिक अनुमानित लागत       | रुपये 5000 |
15. विड के लिए इलेक्ट्रॉनिक इस्पेक्टर का लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगानी आवश्यक है।
16. विडर्स को विड भरते समय ऑन लाईन विड के साथ पंजीयन प्रगाण पत्र तथा जी.एस.टी. (G.S.T.) रजिस्ट्रेशन की प्रति स्केन कर लगाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा विड पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. ई-टेंडरिंग के लिए विडर्स हेतु निर्देश-
- इन विड में दिलचस्पी लेने वाले विडर्स विड प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देखें/ डाउनलोड कर सकते हैं।
  - विड में भाग लेने वाले विडर्स को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर कर रखाना होगा। ऑन लाईन विड में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरेशन टेकॉलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक विड में साईन करने हेतु काम आयेगा। विडर्स उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्टी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन विडर्स के पास पूर्व में वेद्य डिजिटल सर्टिफिकेट हैं, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
  - विडर्स को विड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक कॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
  - इलेक्ट्रॉनिक विड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व विडर्स यह सुनिश्चित कर लेवें कि विड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी विड प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
  - कोई भी विड इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
  - विड के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
18. विड राजस्थान लोक उपापन पारदर्शित अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमत्रित की जाती है। ऊपर अकित समस्त प्रावधान/बंधन उस सीमा तक ही लागू होंगे जिस सीमा तक देय उस बिन्दु में उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों के विरुद्ध नहीं हों।
19. विड के साथ अनुलम्बनक परिशिष्ट A से D विन्दु के भाग हैं जिनकी पूर्ति अनिवार्य है।
20. निविदा के आईटम संख्या 1 व 2 के लिए विडर्स को रोडलाईटों के रखरखाव का 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इस हेतु सदाम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति विड के साथ अपलोड करना होगा।

अधिशापी अभियंता (विद्युत-1)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर

दिनांक:-

क्रमांक:-अधि.अभि./जोन विद्युत-1/20-21/  
प्रतिलिपि वास्ते सूचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अव्यक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव, अगुवक महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निवेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निवेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विकास प्राधिकरण/सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
9. अधिशापी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/उत्तर/आरओ.वी./पी.एच.इ. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. कैशियर/नोटिस बोर्ड।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का <http://www.eproc.rajasthan.gov.in/www.jodhpurjda.org> एवं [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) की वेबसाईट पर तुरन्त प्रदर्शित (up Load) करें।
13. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्फ्रेक्टर एसोसिएशन/ठेकेदार संघ सिवील जे.डी.ए./पी.डब्ल्यूडी.डी.ए.सी.ए.।
14. सूचना सहायक सुश्री/ श्रीमति तारापति को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त विड से संबंधित सूचना SSO ID द्वारा वेबसाईट पर तुरन्त प्रदर्शित (up Load) करें।

अधिशापी अभियंता (विद्युत-1)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर